वरिष्ठता में गड़बड़ी, जूनियर को मिला प्रमोशन

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: सरगुजा जिले के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, चिरंगा में पदस्थ प्रधान पाठक मोहम्मद मुस्ताक खान की वरिष्ठता सूची से नाम हटाकर उनके जूनियर को प्राचार्य पद पर पदोन्नति दे दी गई। इस पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने संचालनालय, लोक शिक्षण रायपुर को आदेश दिया है कि वे 45 दिन के भीतर मामले का निराकरण करें।

हाई कोर्ट ने दिया यह आदेश : याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की अदालत में हुई। कोर्ट ने संचालनालय रायपुर को स्पष्ट निर्देश दिया है कि, याचिकाकर्ता के आवेदन (20 मार्च 2025) पर विचार किया जाए और 45 दिन के भीतर निर्णय लिया जाए।

कब और कैसे हुई गड़बड़ी

मोहम्मद मुस्ताक खान की पहली नियुक्ति वर्ष 1983 में सहायक शिक्षक पद पर हुई। वर्ष 2005 में उन्हें अपर डिवीजन टीचर और 2009 में प्रधान पाठक पद पर पदोन्नति मिली। संचालनालय द्वारा 1 अप्रैल 2024 को जारी राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में उनके प्रमोशन वर्ष को गलत दर्ज किया गया। वास्तविक प्रमोशन वर्ष 2005 की जगह 2008 अंकित कर दिया गया, जिससे उनकी वरिष्ठता प्रभावित हुई।

सूची से मुस्ताक का नाम हटा

वरिष्ठता में हुई त्रुटि के चलते शिक्षा विभाग ने 30 अप्रैल 2025 को जो प्राचार्य पदोन्नति सूची जारी की, उसमें मोहम्मद मुस्ताक खान का नाम ही हटा दिया गया और उनके जूनियर का चयन कर लिया गया। खान ने 16 मई 2024 को जिला शिक्षा अधिकारी, अंबिकापुर को त्रुटि सुधार के लिए आवेदन दिया। जिला शिक्षा अधिकारी और संयुक्त संचालक, सरगुजा ने क्रमशः 2 सितंबर और 5 नवंबर 2024 को संचालनालय को पत्र भेजकर सुधार की अनुशंसा भी की। इसके बावजूद संचालनालय ने कोई कार्रवाई नहीं की और प्रमोशन आदेश जारी कर दिया।